

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./86-III/अलेसे-I/9672-3744 दिनांक:-19/10/2015

कार्यालय आदेश संख्या116...../2015-16

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती बैच 1986 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा वर्तमान में जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -1 के पद पर कार्यरत है जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, (9300-34800) एवं ग्रेड-पे 5400/- स्वीकृत किया जाता है।

क.स	नाम सहायक ले. ग्रेड-1(सर्वश्री)	क.ले. मैरिट संख्या/ बैच	लिक न.	जन्म तिथि	क.ले.पद परकार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	नाथू सिंह शेखावत	26/86	5580	17.06.1963	13.06.1988	13.06.2015
2	रामेश्वर दयाल गुप्ता	41/86	1278	15.09.1963	21.06.1988	21.06.2015
3	हरीश चन्द गुप्ता	51/86	1938	27.09.1959	02.07.1988	02.07.2015
4	नरपत सिंह	64/86	5588	25.09.1965	06.06.1988	06.06.2015
5	सुभाष चन्द जैन	70/86	3629	02.10.1963	27.07.1988	27.07.2015
6	शंकर सिंह	74/86	3631	09.10.1963	06.06.1988	06.06.2015
7	जितेन्द्र कुमार शर्मा	104/86	2181	01.07.1962	22.06.1988	22.06.2015
8	बाबूलाल यादव	176/86	3433	03.06.1965	28.07.1988	28.07.2015
9	हनुमान प्रसाद गुप्ता	222/86	1953	01.07.1965	25.06.1988	25.06.2015
10	मान प्रकाश गुप्ता	223/86	5301	02.07.1965	24.09.1988	24.09.2015
11	राजेन्द्र कुमार	282/86	1361	01.01.1964	05.07.1988	05.07.2015
12	मुकेश कुमार गुप्ता	288/86	5319	20.01.1965	25.08.1988	25.08.2015
13	रामबाबू गुप्ता	302/86	1374	05.06.1963	14.07.1988	14.07.2015
14	बाबूलाल पारीक	309/86	3520	03.07.1957	06.06.1988	06.06.1915
15	प्रेम कुमार खत्री	334/86	4721	05.09.1964	04.07.1988	04.07.2015
16	भंवर सिंह	396/86	3671	20.10.1960	06.07.1988	06.07.2015
17	तुलसीराम	398/86	6364	01.02.1962	22.06.1988	22.06.2015
18	मनोज कुमार सक्सैना	400/86	5342	25.10.1962	06.06.1988	06.06.2015
19	महावीर प्रसाद जैन	405/86	5349	20.11.1963	01.08.1988	01.08.2015
20	कमलेश चन्द्र शर्मा	462/86	9064	01.07.1962	29.07.1988	29.07.2015
21	मुकेश गहलोत	463/86	5373	02.07.1962	11.07.1988	11.07.2015
22	तारा चन्द भाटी	475/86	6374	07.03.1957	14.07.1988	14.07.2015
23	प्रणवीर यादव	480/86	4741	12.09.1960	19.09.1988	19.09.2015
24	रविन्द्र कुमार गोयल	485/86	1427	04.08.1963	07.07.1988	07.07.2015
25	जिनेन्द्र कुमार जैन	488/86	2202	08.02.1964	06.07.1988	06.07.2015
26	वीरेन्द्र कुमार शर्मा	495/86	3521	04.04.1959	18.06.1988	18.06.2015
27	रविन्द्र कुमार पारीक	508/86	1475	10.08.1964	07.07.1988	07.07.1915
28	राजेश कुमार दीक्षित	528/86	1484	01.07.1964	06.06.1988	06.06.2015
29	बंशीलाल बिन्नाणी	537/86	3697	10.11.1960	08.07.1988	08.07.2015
30	अब्दुल जब्बार	551/86	3233	30.11.1964	06.06.1988	06.06.2015
31	विजय सिंह सेंगर	553/86	3529	01.01.1965	06.06.1988	06.06.2015
32	चन्द्र शेखर दवे	567बी/86	3025	08.09.1960	29.07.1988	29.07.2015
33	रंगलाल बैरवा	671/86	1531	14.06.1964	04.07.1988	04.07.2015
34	भंवर लाल बारुपाल	742/86	3780	10.12.1959	11.08.1988	11.08.2015

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 5,9,17,18,19,,22,23,24,26,28,29,31,33 एवं 34 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

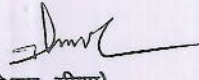
उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4800 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./86-III/अलेसे-I/ 9672-744 दिनांक:- 19-10-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय.....
3. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)